(83) (84)

न्यायालय माननीय राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. PBR/निग./ग्वालियर/भू.रा./2017/6322

1– सोवरनसिंह बघेल

2– करतारसिंह बघेल

3– उत्तमसिंह पुत्रगण रामस्वरूप

4– रामस्वरूप पुत्र छविराम बघेल

5– सियाराम पुत्र गुलाबसिंह बघेल

निवासीगण– ग्राम चीनौर, तहसील चीनौर, जिला ग्वालियर म.प्र. ......आवेदकगण

श्री लाखन सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 27-12-17 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-1-18 नियत।

रीडर आफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 27-12-17

बनाम

1– मोहनलाल लुहार

2– पुरूषोत्तम लुहार

3– नवलकिशोर पुत्रगण चिम्मन लाल

4– राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप झा (delete)

निवासीगण– ग्राम चीनौर, तहसील चीनौर, जिला ग्वालियर म.प्र.

.... अनावेदकगण

27/12/17
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्र.329/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत। :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/6322

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-9-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, चीनौर जिला ग्वालियर के समक्ष आवेदक क्रमांक 1 द्वारा मौजा चीनौर स्थित सर्वे क्रमांक 827/1 मिन रकबा 0.293 हेक्टेयर का बटांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/08-09/अ-3 में 26-11-08 को आदेश पारित कर बटांकन स्वीकार किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक पक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23-3-17 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29-11-17 को आदेश पारित कर अपील निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचना व सुनवाई का अवसर दिया जाकर बटवारा आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि बटांकन फर्द मौका कब्जा अनुसार सहभागीदारों की सहमति से तैयार किया गया है, जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा 6 वर्ष पश्चात प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है, जिसे यथावत रखने में अपर आयुक्त द्वारा भी अवैधानिकता की गई है । उनके द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश	

निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

3/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से इस आशय का आधार उठाया गया है कि आवेदक पक्ष द्वारा तहसील न्यायालय में अनावेदकगण को बिना पक्षकार बनाये प्रश्नाधीन भूमि के बटांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि अनावेदकगण के पिता द्वारा सर्वे क्रमांक 827/1 मिन रकबा 0.293 हेक्टेयर भूमि पूर्व भूमिस्वामी सरदार कुलसिंह आदि से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25-6-94 द्वारा क्रय की गई है, जिसके आधार पर उनका राजस्व अभिलेखों में विधिवत नामांतरण हुआ है । तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को साक्ष्य व सुनवाई का बिना अवसर दिये एकपक्षीय रूप से बटवारा एवं बटांकन का आदेश एकसाथ पारित किया गया है, जिसमें आवेदक पक्ष द्वारा मेन रोड से लगी हुई भूमि अपने नाम बटवारा एवं बटांकन करा लिया गया है, जबकि बटवारा एवं बटांकन की कार्यवाही एकसाथ नहीं की जा सकती है । यह आधार भी लिया गया है कि अनावेदकगण द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई है और न ही सहमति स्वरूप उनके हस्ताक्षर है । यह भी आधार लिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश अधिकारिता रहित होने से निरस्त किया गया है, जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी यथावत रखा गया है, जिसके पालन में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 34/17-18/बी-121 में दिनांक 5-12-2017 को आदेश पारित कर अनावेदकगण के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में अमल हो चुका है, अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कोई बल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 86, 84, 402, 1992 आर.एन. 4, 323, 2008 आर.एन. 424, **1971** जे.एल.जे. 819, 1971 आर.एन. 475, 1971 एम.पी.एल.जे; 1025, 2007 आर.एन. 268 (हायकोर्ट) एवं के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है तहसील न्यायालय द्वारा समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सुने बिना आवेदक पक्ष का बटांकन करते हुए उन्हें मुख्य मार्ग पर ज्यादा चौड़ाई में भूमि दे दी गई

है । अतः तहसील न्यायालय के आदेश में अनियमितितायें पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से स्थिर रखे जाते हैं । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क अमान्य किये जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

अध्यक्ष